

---

रूप-पत्र 30

(उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 के नियम 12-ख का उपनियम (17) देखिये)

व्यापारियों द्वारा प्राप्त और उनके द्वारा अभ्यर्पित किये गये तथा व्यापार कर अधिकारी द्वारा रद्द किये गये रूप-पत्रों का रजिस्टर

---

अभ्यर्पित रूप-पत्रों का विवरण

दिनांक	रूप-पत्रों का प्रकार	संख्या	क्रमसंख्या	उस व्यापारी का नाम व पता जो रूप-पत्र अभ्यर्पित करें	रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र की संख्या और वह दिनांक जब से रजिस्ट्री प्रभावी हो	
1	2	3	4-क	4-ख	5	6

---

रूप-पत्र 27 में रखे गये व्यापारी से खाते की पृष्ठ संख्या जिसमें अभ्यर्पित रूप-पत्र सम्बन्धी प्रविष्टि की गई	व्यापार कर अधिकारी / सहायकव्यापार कर अधिकारी के हस्ताक्षर	रूप-पत्र अभ्यर्पित करने का कारण	अभ्यर्पित रूप-पत्रों को नष्ट/ या निस्तारित करने के सम्बन्ध में अभ्युक्ति
7	8	9	10

---